


माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

-: कार्यालय आदेश :-

क्रमांक ^{संख्या} :- /परीक्षा द्वितीय /8

दिनांक :- 11-01-08

बोर्ड बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के प्रस्ताव संख्या-4 की स्वीकृति की अनुपालना में आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि "न्यायिक प्रकरणों/पुलिस में दर्ज मुकदमों एवं केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों को छोड़कर अन्य विभागों से प्राप्त बोर्ड प्रलेखों का सत्यापन शुल्क रु. 50/- के स्थान पर रु. 100/- प्रति परीक्षार्थी, प्रति परीक्षा प्रतिस्थापित किया जाता है।" ये आदेश दिनांक 15.1.2008 से प्रभावी माने जावेंगे।


सचिव